

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक:- 05/2015 नि०फौ०

संस्थित दिनांक 18-12-2014

शोभाराम पुत्र भवानीप्रसाद राजेश, उम्र 50 वर्ष,  
जाति- जाटव, निवासी ग्राम भग्गू का पुरा,  
थाना- गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

-----निगरानीकर्ता / परिवादी

**बनाम**

1. बी.के. (बालकृष्ण) आर्य पुत्र सामलिया, आयु 63 वर्ष, निवासी खटीक मोहल्ला वार्ड क्रमांक 4 थाना गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०  
तत्समय पदस्थ प्राचार्य शा०बा०उ०मा०वि० गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०, हाल आवाद डबस स्कूल के पास रचना नगर पिन्टोपार्क ग्वालियर म०प्र०
2. अशोक वर्मा पुत्र नामालुम, उम्र 57 वर्ष लगभग, तत्समय पदस्थ शा०मा०वि० क्रमांक 1 गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०, हाल निवासी आवाद शा०मा०वि०क्र० 1 गोहद

-----प्रतिनिगरानीकर्ता / आरोपीगण

---

निगरानीकर्ता द्वारा श्री भगवाती राजौरिया अधिवक्ता।  
गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा श्री के०के० शुक्ला अधिवक्ता।

---

// आ दे श //  
// आज दिनांक 04-11-2016 को पारित किया गया //

01. निगरानीकर्ता / परिवादी की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदनपत्र का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है, जिसे कि निगरानीकर्ता के द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी श्री केशवसिंह के न्यायालय के प्र०क्र० परिवाद /2005 शोभाराम वि० बी०के०आर्य में पारित आदेश दिनांक 26.09.2014 से व्यथित होकर पेश की गई

है, जिसमें कि निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत परिवादपत्र निरस्त किया गया है। सुविधा की दृष्टि से आगे के पदों में निगरानीकर्ता को आवेदक एवं प्रतिनिगरानीकर्तागण को अनावेदकगण के रूप में संबोधित किया जाएगा।

02. वर्तमान निगरानी के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी/आवेदक के द्वारा प्रतिनिगरानीकर्ता/अनावेदकगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया था कि परिवादी के पिता भवानीप्रसाद राजेश शा0प्रा0वि0 भगू का पुरा में शिक्षक के पद पर पदस्थ थे जिनकी कि सेवाकाल दौरान दिनांक 20.08.2003 को मृत्यु हो गई जिसके बाद परिवादी की माँ विद्यादेवी को खाता क्रमांक 01190013142 में पेंसन का भुगतान हुआ था तथा शेष शासकीय देयक धन दिनांक 01.07.2000 से 29.08.2003 तक की राशि 10705/- रूपए इसी खाते में भुगतान होना था जो कि आरोपीगण के द्वारा विद्यादेवी के खाते में न भेजते हुए धोखा धड़ी से सीधे अपने हाथ में भुगतान प्राप्त कर लिया। आवेदक द्वारा उक्त राशि के संबंध में कलेक्टर भिण्ड को शिकायत की तब उसकी माँ को भुगतान किया गया। उक्त दौरान अनावेदक बी.के. आर्य शा0बा0उ0मा0वि0 गोहद का प्राचार्य था और शा0प्रा0वि0 भगूपुरा का संयुक्त प्रभारी वेतन आहरणकर्ता था तथा अनावेदक अशोक वर्मा शा0बा0उ0मा0वि0 गोहद का लेखपाल रोकडिया था। अनावेदकगण ने आवेदक के साथ धोखा धड़ी कर पैसे का आपराधिक दुर्विनियोग किया। आवेदक के द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस को भी की थी। पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिवादपत्र पेश किया गया था जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीयन योग्य न पाए जाने से दिनांक 26.09.14 को निरस्त किया गया है।

03. निगरानीकर्ता के द्वारा वर्तमान निगरानी मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई दस्तावेजी साक्ष्य पर सही विवेचन न कर एवं साक्ष्य का सही रूप से अवलोकन न करते हुए आलोच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। आवेदक के द्वारा अपने एवं अपनी माँ व बैंक कर्मचारी, शिक्षा विभाग कर्मचारी के भी कथन कराए गए हैं जो कि परिवाद के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने हेतु समुचित आधार थे इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से परिवादपत्र निरस्त किया गया है। निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.2014 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

04. अनावेदकगण ने विचारण न्यायालय के आदेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें कोई हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कारण न होना बताते हुए निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया है।

05. उपरोक्त निगरानी के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह हो जाता है कि—

क्या विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 26.09.2014 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

// निष्कर्ष के आधार //

06. निगरानीकर्ता/आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण के द्वारा आवेदक के पिता जिनकी कि सेवकाल में मृत्यु हो गई थी उनके डी.ए. एरियर की राशि का भुगतान उसकी माँ के खाते में न कर उसका नगद आहरण कर लिया और उसे अपने उपयोग में रखा। बाद में कलेक्टर भिण्ड को शिकायत करने पर दिनांक 03.12.2004 को उसकी माँ को बड़ी मुश्किल से उक्त राशि का भुगतान किया जो कि सम्पूर्ण राशि उसकी माँ को नहीं दी गई। उपरोक्त संबंध में आवेदक/परिवादी तथा उसकी माँ विद्यादेवी एवं बैंक शाखा प्रबंधक मोहनस्वरूप श्रीवास्तव तथा बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल गोहद के लिपिक गंगाराम माझी के धारा 200, 202 दंडप्र0सं0 के कथन कराए गए हैं, जिनके आधार पर अपराध दर्ज करने हेतु प्रथम दृष्टिया आधार है, इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय के द्वारा अपराध दर्ज न कर परिवाद निरस्त किया गया है।

07. गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण अधिवक्ता ने अपने तर्क में विचारण न्यायालय के आदेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने का कोई आधार न होना व्यक्त किया। उनके द्वारा यह भी व्यक्त किया कि स्वयं परिवादी की माँ श्रीमती विद्यादेवी के द्वारा नगद भुगतान हेतु अनुरोध किया गया था और उन्हीं के अनुरोध पर डी.ए. के एरियर की राशि 10705/- रूपए आहरित की गई थी जिसकी विधिवत प्रविष्टि विद्यालय के केशबुक में है। विद्यादेवी को राशि लेने के लिए सूचना दी गई, किन्तु वह उपस्थित न हुई और इसी दौरान अनावेदक नगरपालिका निर्वाचन के प्रशिक्षण आदि कार्य में प्रभारी अधिकारी बनाया गया था और इस दौरान उक्त निर्वाचन कार्य में व्यस्तता आदि के कारण भुगतान में कुछ बिलम्ब हुआ है जो कि उक्त सम्पूर्ण राशि 10705/- रूपए दिनांक 02.12.2014 को परिवादी की माँ विद्यादेवी को भुगतान की जा चुकी है और जिस संबंध में पावती रसीद भी संलग्न है। उपरोक्त राशि आवेदक के द्वारा अपने उपयोग में नहीं ली गई थी, बल्कि विद्यालय के केश में ही जमा थी जो कि इस संबंध में केशबुक में भी विधिवत दर्ज है। ऐसी स्थिति में राशि का कोई दुर्विनियोग नहीं किया गया है।

08. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया और इस संबंध में विचारणीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2014 का भी अवलोकन किया गया तथा मूल अभिलेख का

भी अवलोकन किया गया। वर्तमान परिवादपत्र के संबंध में परिवादी शोभाराम के द्वारा उसके पिता को दिनांक 01.07.2000 से 29.08.2003 के मध्य की महगाई भत्ता के ऐरियर की राशि 10705/- रूपए बेईमानी पूर्वक निकाल लेना एवं उसे अपने पास रख लेना बताया है और यह बताया है कि राशि आहरण के पश्चात् उसकी माँ को प्रदान नहीं की गई और बाद में उसके द्वारा कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड को शिकायत करने पर उक्त राशि दी गई एवं राशि का पूरा भुगतान भी नहीं किया गया है। इसी प्रकार का कथन विद्यादेवी साक्षी क्रमांक 2 के द्वारा अपने 202 दं.प्र.सं. के कथनों में किया गया है।

09. उपरोक्त संबंध में बैंक अधिकारी मोहनस्वरूप श्रीवास्तव साक्षी क्रमांक 3 के द्वारा हायर सेकेण्डरी स्कूल गोहद के प्राचार्य के खाते से उनके द्वारा अधिकृत किए गए नेतराम को चैक की राशि 10,705/- रूपए का भुगतान किया जाना बताया है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी गंगाराम माझी जो कि विद्यालय के केशबुक संबंधी रिकार्ड एवं विद्यादेवी को भुगतान की रसीद लेकर उपस्थित हुए हैं, उनके द्वारा चैक की राशि एल.डी.सी. नेतराम कुशवाह के द्वारा निकालना और उक्त राशि निकालने के पश्चात् विद्यालय के खाते में समायोजित कर केशबुक में जमा करना और उक्त राशि 10,705/- रूपए का भुगतान दिनांक 02.12.2004 को विद्यादेवी को किया जाना बताया है और इसकी प्रविष्टि भी केशबुक में किया जाना भी बताया है और राशि की निकासी का केशबुक प्र.पी. 1, विद्यालय से भुगतान के दिनांक के संबंध में केशबुक प्र.पी. 2 एवं विद्यादेवी को 10,705/-रूपए भुगतान की रसीद प्र. पी. 3 होना बताया है और उपरोक्त संबंध में शोभाराम के द्वारा की गई शिकायत के संबंध में जिला पंचायत के द्वारा प्राचार्य को दिया गया नोटिस प्र.पी. 4 होना बताया है।

10. उपरोक्त संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा यद्यपि परिवाद पेश करने के संबंध में परिवादी को कोई अधिकार होने के संबंध में भी प्रश्नचिन्ह उठाया है, इस संबंध में परिवादी जो कि विद्यादेवी का पुत्र है और परिवादी के साथ विद्यादेवी के कथन भी हुए हैं। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि परिवादी को राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं था उसे परिवादपत्र पेश करने का अधिकार नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

11. प्रकरण में आई हुई प्रारंभिक मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है। अनावेदकगण का कोई बेईमानी पूर्वक आशय उक्त राशि के दुर्विनियोग हेतु रहा हो ऐसा इस आधार पर नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में अनावेदकगण के द्वारा राशि का नगद आहरण के बावत् यदि उनके द्वारा विद्यादेवी के अनुरोध पर उक्त राशि नगद दिलाई जाने हेतु आहरण किया भी गया है तो मात्र इस संबंध में कि वह राशि बैंक खाते में ही भुगतान हुआ था यह अनियमितता हो सकती है। इसके आधार पर उनका कोई बेईमानी पूर्वक आशय अथवा राशि को दुर्विनियोग करने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।



12. यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं परिवादी के द्वारा पेश कराए गए दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि उक्त राशि बैंक के माध्यम से विद्यालय के केशबुक में विधिवत प्रविष्टि की गई है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि उक्त राशि 10,705/- डी.ए. ऐरियर की राशि है, जो कि केशबुक की प्रति प्रकरण में संलग्न है और उक्त राशि विद्यालय के खाते में ही जमा रही है जिसका भुगतान दिनांक 02.12.2004 को विद्यादेवी को प्राप्ति रसीद अभिलेख में संलग्न की गई है और केशबुक में इस आशय की प्रविष्टि की गई है। इस प्रकार उक्त राशि विद्यालय के केश में जमा होना ही प्रारंभिक रूप से स्पष्ट होता है। उक्त राशि अनावेदकगण के द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् अपने उपयोग हेतु रखे जाने अथवा उसका दुर्विनियोग किये जाने के संबंध में इस आधार पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस संबंध में यदि अनावेदक के द्वारा चुनाव संबंधी कार्य में व्यस्तता आदि के कारण यदि भुगतान करने में कुछ बिलम्ब भी हुआ है तो मात्र इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उक्त राशि को बेईमानीपूर्वक प्राप्त कर उसका दुर्विनियोग उनके द्वारा किया गया है।

13. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनावेदकगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने हेतु प्रथम दृष्टिया कोई आधार होना दर्शित नहीं होता है और इस संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा भी पारित आदेश में भी उपरोक्त संबंध में विचार करते हुए अनावेदकगण के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टिया अपराध पंजीबद्ध करने हेतु कोई आधार न होने का जो निष्कर्ष निकाला गया है वह अवैधानिक, अशुद्धता या औचित्यहीन होना नहीं कहा जा सकता है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना अथवा फेर बदल करने का कोई आधार भी नहीं है।

14. तदनुसार विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 26-09-2014 की पुष्टि की जाती है तथा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

15. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय के बुलाए गए सभी अभिलेख वापिस हो।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड